राउंड अप 2025

इस साल हुए चुनाव में भाजपा का दबदबा

नई दिल्ली, 24 दिसंबर. वर्ष 2025 में हुए चुनाव में देश की राजनीतिक तस्वीर बदलती दिखी. दिल्ली में भाजपा ने 27 साल बाद विधानसभा में वापसी की, 70 में से 48 सीटें जीतकर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया.

वहीं, बिहार में भी एनडीए ने विधानसभा चुनाव में 189 सीटों पर जीत दर्ज कर जातिगत बंधनों को तोड़ा और विकास-सुशासन की राजनीति को सफल बनाया. इस वर्ष महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में भी महायुति गठबंधन ने 288 नगर परिषद अध्यक्ष पदों में 207 पर जीत हासिल की. पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जिला परिषद और पंचायत समितियों में 70 फीसदी से अधिक सीटें जीतकर अपनी मजबूत पकड़ कायम की. दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में भी भाजपा ने 7 सीटें जीतें.

दिल्ली विस चुनाव भाजपा की 27 साल बाद सत्ता में वापसी: 5 फरवरी को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार वापसी की. आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सीमित रही. वोट प्रतिशत में भाजपा ने 47.15 प्रतिशत व आप ने 43.57 प्रतिशत प्राप्त किया.

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति गठबंधन ने जोरदार जीत दर्ज की. बीजेपी 117 नगर पालिका अध्यक्ष और 3,300 से अधिक पार्षद सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी.

बिहार एनडीए की जीत

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने यादव बाहुल्य जिलों में इतिहास रच दिया. मधुबनी, दरभंगा और सीवान जैसे रुझानधारी आरजेडी गढ़ों में मोदी फैक्टर और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'साइलेंट स्ट्राइक' ने अप्रत्याशित परिणाम दिए. ने189 से अधिक सीटें जीतकर जातिगत बंधनों को तोड़ा. विशेषज्ञों के अनुसार, नीतीश कुमार की सादगी और मोदी की राष्ट्रीय छवि ने यादव वोटरों को प्रभावित किया. यह जीत विकास और सुशासन की राजनीति का स्पष्ट संदेश है, जो अब जातिगत गढ़ों को भी पार कर रही है.

पंजाब चुनाव : आप ने जीतीं 70 प्रतिशत सीटें

पंजाब में ग्रामीण निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) ने जोरदार जीत दर्ज की है. जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में 'आप' ने कुल 70प्रतिशत से अधिक सीटें जीतीं, जिससे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का दबदबा कायम रहा. जिला परिषद चुनावों में आप ने 218 सीटें, कांग्रेस ने 62, शिरोमणि अकाली दल ने 46 और बीजेपी ने 7 सीटें जीतीं. पंचायत समितियों में आप ने 1,529 सीटें जीतीं, कांग्रेस 611, अकाली दल 449 और बीजेपी 73 सीटों पर सफल रही. केजरीवाल ने कहा कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी सरकार के कामकाज पर लोगों की स्वीकृति का संकेत है.

दिल्ली उपचुनाव : भाजपा 7, आप 3 सीट जीती

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे बुधवार को घोषित हो गए. भाजपा ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की, आम आदमी पार्टी (आप) 3 सीटें जीती और कांग्रेस तथा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 1-1 सीट हासिल की. इस जीत के साथ भाजपा के पार्षदों की संख्या 122 हो गई, जबकि आप के पार्षद बढ़कर 102 और कांग्रेस के पार्षद 9 हो गए.

पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बने अटल स्मृति न्यास अध्यक्ष

▸ विशेष बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला

नई दिल्ली, 24 दिसंबर. पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू को अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा और स्मृतियों को संरक्षित करने वाली अटल स्मृति न्यास सोसायटी की कमान सौंपी गई है.

नई दिल्ली में आयोजित विशेष बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से न्यास का अध्यक्ष चुना गया. यह जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली है, जब न्यास अटल जी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के अपने मिशन को और विस्तार देने की तैयारी में है. वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में लिया गया यह फैसला संगठन के लिए नई दिशा तय करने वाला माना जा रहा है. भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू को अटल स्मृति न्यास सोसायटी का नया अध्यक्ष चुना गया है. यह निर्णय बुधवार को नई दिल्ली में उनके आवास पर आयोजित न्यास की विशेष बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया.

इमरान खान और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर लगी रोक

इस्लामाबाद, 24 दिसंबर. इस्लामाबाद की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की पांच आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, इनमें नौ मई की हिंसा से जुड़े मामले भी शामिल हैं. इस्लामाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक इन पांच संबंधित मामलों में कोई गिरफ्तारी न की जाए.

जाहिर सूचना

दिनांक - 24.12.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार फराह शेख पति मोहम्मद वसीम शेख निवासी 5/2, आलापुरा, जूनी इन्दौर, इन्दौर के स्वामित्व एवं आधिपत्य की सम्पत्ति मकान ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बांक तहसील व जिला इन्दौर स्थित **ग्रीनपार्क कॉलोनी** का **भूखण्ड क्रमांक 446** व उस पर निर्मित मकान यहां पर स्थित है। उक्त सम्पत्ति का पूर्व का प्रथम मूल दस्तावेज क्रमांक **1अ / 1272 दिनांक 17.06.1996** जो **मोहम्मद युसुफ पिता श्री बाबू शाह** के नाम का है इस मूल दस्तावेज का अंतिम पृष्ठ (दस्तावेज क्रमांक एवं दिनांक की सील वाला) कहीं गुम हो गया है जो कि बहुत ढूंढने के पश्चात भी नहीं मिल रहा है। अतः उक्त गुम हुए मूल दस्तावेज के अंतिम पृष्ठ के आधार पर मेरे उक्त पक्षकार के अलावा कोई भी व्यक्ति / संस्था किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार ना करे अन्यथा ऐसा व्यवहार मेरे पक्षकार पर बंधनकारक नही रहेगा तथा यदि उक्त अंतिम पृष्ठ किसी व्यक्ति को मिलता है अथवा प्राप्त होता है तो मुझे सूचित कर लौटाने का कष्ट करे। इस बाबद मेरे पक्षकार द्वारा संबंधित पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है।

प्रकाशन दिनांक - 25.12.2025

भवदीय,

श्रीनिधि डाले, एडव्होकेट

101. रायल कोर्ट चेम्बर मोती तबेला इन्दौर

मो. नं. 98260-77993

छात्रों को मिलेगी विश्वस्तरीय शिक्षा : नीतीश

सीएम ने दिए दो बड़े विश्वविद्यालयों के भवन निर्माण में तेजी के निर्देश

पटना, 24 दिसंबर. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि राज्य के छात्र एवं छात्राओं को उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिये बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय एवं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है.

उन्होंने कहा कि मीठापुर के इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, निफ्ट, चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी एवं मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान बनाये गए हैं. यह पूरा क्षेत्र काफी अच्छा हो गया है. इन दोनों विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण होने से यह क्षेत्र और भी अच्छा दिखेगा. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 27 जुलाई 2022 को बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तथा इसके भवन के निर्माण के लिये मीठापुर, पटना में 5 एकड़ भूमि आवंटित की गई. मुख्य भवन 4 मंजिल का होगा. भूतल पर डीन कार्यालय, रजिस्ट्रार का कार्यालय, कैफेटेरिया एवं अन्य कार्यालय, कुलपति कार्यालय, मीटिंग हॉल तथा मूल्यांकन केन्द्र बनाया जा रहा

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने आज मीठापुर में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विवि एवं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की सचिव डॉ. प्रतिमा एस. वर्मा ने बिहार अभियंत्रण विवि ने बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विवि के भवन के निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के छात्र एवं छात्राओं को उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिये बिहार स्वास्थ्य विज्ञान एवं बिहार अभियंत्रण विवि की स्थापना की. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विवि एवं अभियंत्रण विवि के निर्माणाधीन सभी संरचनाओं का निर्माण कार्य बेहतर ढंग से और तेजी से पूर्ण करें.

उपमुख्यमंत्री पद से हूं संतुष्ट : शिवकुमार

नई दिल्ली. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि सीएम पद को लेकर कोई विवाद नहीं है व वह उपमुख्यमंत्री बने रहने में संतुष्ट हैं. डीके शिवकुमार ने यहां कर्नाटक भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस में आंतरिक मतभेदों या कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठकों की बातें केवल अफवाहें हैं जो मीडिया में फैली हुई हैं. मैं कांग्रेस आलाकमान में किसी से मिलने नहीं आया हूं। मैं उपमुख्यमंत्री बने रहकर खुश हूं. मुझे पार्टी कार्यकर्ता बनना पसंद है. डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर संभावित बदलाव के बारे में पूछे गये सवालों को खारिज कर दिया.

अमरगढ़-सगतसर नामकरण पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की अधिसूचना की रद्द

नई दिल्ली, 23 दिसंबर. उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार के राजस्व गांवों का नाम निजी लोगों के नाम पर रखने वाली अधिसूचना रद्द कर दी है.

न्यायालय ने कहा कि राजस्थान सरकार ने नए बनाए गए राजस्व गांवों का नाम निजी लोगों के नाम पर रखकर अपनी ही नीति का उल्लंघन किया है और राजस्थान उच्च न्यायालय के एकलपीठ के न्यायमूर्ति के अधिसूचना रद्द करने के आदेश को बहाल कर दिया है. न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने बाड़मेर जिले के सोहदा गांव के निवासियों की याचिका को स्वीकार कर राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठ के फैसले को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने राजस्व गांव अमरगढ़ और सगतसर बनाने को सही ठहराया था. यह विवाद 31 दिसंबर, 2020 को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 के सेक्शन 16 के तहत जारी किए गए एक अधिसूचना से उत्पन्न हुआ.

अधिसूचना जारी होने से पहले, तहसीलदार ने सत्यापित किया था कि नए राजस्व गांव बनाने के लिए सभी कानूनी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं और उनके बनने को लेकर कोई विवाद नहीं है. प्रस्तावित गांवों के लिए ज़मीन दान करने की मंजूरी देने वाले लोगों ने शपथपत्र दिए थे. ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए बाद गांववालों ने आपत्ति जताई कि अमरगढ़-सगतसर नाम निजी लोगों, यानी अमरराम और सगत सिंह के नामों से लिए हैं. गांववालों ने राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और 2020 की अधिसूचना को चुनौती दी. न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 11 जुलाई, 2025 को आदेश में कहा कि गांवों का नामकरण राज्य सरकार के 20 अगस्त, 2009 के परिपत्र का उल्लंघन है, जो किसी भी व्यक्ति, धर्म, जाति या उपजाति के नाम पर राजस्व गांव का नाम रखने पर रोक लगाता है.

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, **शांता देवी चौरड़िया, पत्नी रघुराज सिंह,** निवासी फ्लेट नं. 201, लोटस एवेन्यू, आनंद विहार मार्ग, स्कीम नं. 36 के पीछे, नीमच, ने अपना नाम **'शांता देवी चौरड़िया'** से बदलकर अब **'शांता चौरड़िया'** कर लिया है। भविष्य में मेरे सभी शासकीय, अर्धशासकीय, बैंक एवं अन्य समस्त अभिलेखों में मुझे 'शांता चौरड़िया' नाम से जाना जाए।

शांता चौरड़िया

फ्लेट नं. 201, लोटस एवेन्यू, आनंद विहार मार्ग, स्कीम नं. 36 के पीछे, नीमच

ताइवान में 6 .1 तीव्रता का भूकंप, गगनचुंबी इमारतें हिलीं

नई दिल्ली, 24 दिसंबर. ताइवान एक बार फिर तेज भूकंप के झटकों से दहल उठा. बुधवार को दक्षिणपूर्वी तटीय शहर ताइतुंग में आए 6.1 तीव्रता के भूकंप ने राजधानी ताइपे तक को हिला दिया.

ऊंची इमारतें लंबे समय तक झूलती रहीं, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई और वे घरों व दफ्तरों से बाहर निकल आए. हालांकि राहत की बात यह रही कि अब तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. प्रशासन ने कई इलाकों में अलर्ट जारी कर स्थिति पर नजर बनाए रखी है. ताइवान के दक्षिणपूर्वी तटीय शहर ताइतुंग में बुधवार को आए भूकंप के तेज झटकों से पूरे द्वीप में दहशत फैल गई. सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई. भूकंप का केंद्र ताइतुंग काउंटी हॉल से करीब 10.1 किलोमीटर उत्तर में था, जबकि इसकी गहराई 11.9 किलोमीटर दर्ज की गई. भूकंप के असर से राजधानी ताइपे की गगनचुंबी इमारतें हिलती रहीं. ताइपे, काओशुंग, ताइचुंग और ताइनान समेत कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया.

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA

पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सीआईएन संख्याः U67190MH2008PLC187552

कब्जे की सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पढ़े गए परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ताओं को नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया।

उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न करने पर, एतद्द्वारा उधारकर्ता को, विशेष रूप से और आम जनता को, सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, इंदौर द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर, नीचे उल्लिखित सीसी संख्या में तहसीलदार के माध्यम से वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है और उक्त तहसीलदार ने अधोहस्ताक्षरी अधिकृत अधिकारी को भौतिक कब्जा सौंप दिया है।

ऋण लेने वाले को, विशेष रूप से, और आम जनता को, यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें। संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा नीचे उल्लिखित राशि के लिए, ब्याज सहित, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित, मांग नोटिस की तिथि से जब्त किया जाएगा। ऋण लेने वाले का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

ऋण खाता संख्या	देनदार का नाम / कानूनी उत्तराधिकारी/ कानूनी प्रतिनिधि	मांग नोटिस के अनुसार राशि	मांग सूचना दिनांक / भौतिक कब्जे की तिथि	आदेश दिनांक / सीसी नं.
TCHHL028 400010014 8116 और TCHIN028 400010015 0771	श्री अमजद खान (ऋणकर्ता) श्रीमती नजमाबिया (सह-ऋणकर्ता)	रू. 22,67,609/- और रू.1,01,649/-	14-01-2025 / 22.12.2025	18-07-2025 / मामला संख्या 0014/बी-121/ 2025-26

सुरक्षित संपत्तियों / अचल संपत्तियों / गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरणः संपत्ति -1 वामन हट्स सतगुरु रेजीडेंसी, ब्लॉक - ए, प्लॉट संख्या 76, 77, 78, 95, 96 और 97 पर स्थित फ्लैट संख्या 202, द्वितीय मंजिल की पूरी अचल संपत्ति आशियाना पैलेस कॉलोनी, ग्राम काली बिल्लोद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर में स्थित है। क्षेत्रफल 405 वर्ग फुट। सीमाएँ: पूर्वः सड़क, पश्चिमः सामान्य मार्ग, उत्तरः फ्लैट संख्या 201-ब्लॉक-ए, दक्षिणः फ्लैट संख्या 203-ब्लॉक-ए संपत्ति -2 फ्लैट संख्या 203, द्वितीय मंजिल, "वामन हट्स सतगुरु रेजीडेंसी" ब्लॉक-ए, प्लॉट संख्या 76, 77, 78, 95, 96 और 97, आशियाना पैलेस कॉलोनी, ग्राम काली बिल्लोद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर में स्थित अचल संपत्ति। क्षेत्रफल 471 वर्ग फुट। सीमाएँ: पूर्वः सड़क, पश्चिम : फ्लैट संख्या 204-ब्लॉक-ए, उत्तरः सामान्य मार्ग, दक्षिणः सड़क

दिनांकः-25-12-2025,
स्थानः- इंदौर

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

motilal oswal Home Finance

मांग सूचना

कॉर्पोरेट कार्यालयः मोतीलाल ओसवाल टावर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025 । ईमेलः hfquery@motilaloaswal.com
CIN No.: U65923MH2013PLC248741

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (MOHFL) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का अनुरोध किया गया है। अधोहस्ताक्षरी का यह उचित विश्वास है कि उधारकर्ता/उधारकर्ता मांग सूचना की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार सूचना की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत है:

स. क्र.	ऋण अनुबंध संख्या/ऋणी/सह-ऋणी/ सह-आवेदक का नाम, गारंटर का नाम	मांग नोटिस की तिथि और बकाया	अचल संपत्ति का विवरण
1.	LXKHA00416-170029229 उधारकर्ताः जाहिदा कमाल खान सह-आवेदकः कमाल काले खान	11-12-2025 / रु. 5,06,814/- (पांच लाख छह हजार आठ सौ चौदह मात्र)	पी.एच.नं 43 (पुराना 26), तह. एवं ब्लॉक खरगोना, नगर पालिका, वार्ड नं. 23 (पुराना 31), संजय नगर, टैक्स रिकॉर्ड क्र.1193, पूर्व पश्चिम- 40 फीट, उत्तर-दक्षिण- 20 फीट कुल माप 800 वर्ग फुट यानी 74.35 वर्ग मीटर, चिश्तिया नगर, खरगौन पश्चिम निमाड़, म.प्र.- 451001. सीमाएँ: पूर्वः खसरा की शेष भूमि, पश्चिमः कच्चा रास्ता, उत्तरः विक्रेता भाग भूमि, दक्षिणः विक्रेता भाग भूमि।
1.	LXIN200216-170048291 और LXMOHOF123-240714448 उधारकर्ताः राजेश भगवान तावड़े, सह-आवेदक 1: राकेश धगवनदास तावड़े, सह-आवेदक 2: शांति बाई गारंटर :जितेंद्र श्री सुभाष यादव	12-12-2025 / रु. 9,62,568/- (नौ लाख बासठ हजार पॉच सौ अड़सठ मात्र)	मकान संख्या 345, पुरानी बस्ती, भागीरथपुरा लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 10 फीट, कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग फीट, इंदौर, मध्य प्रदेश। सीमाएँ: पूर्वः सड़क, पश्चिमः गली, उत्तरः गोल यादव का प्लॉट, दक्षिणः उसी प्लॉट का छोटा भाग
1.	LXIND00316-170024891 और LXHOF02119-200075157 उधारकर्ताः अंबाराम मुन्नालाल नागर सह-आवेदकः ममता अंबाराम नागर	12-12-2025 / रु. 5,05,358/- (पांच लाख पांच हजार तीन सौ अट्ठावन मात्र)	पटवारी हल्का क्रमांक 33, कर निर्धारण क्रमांक 252844, सर्वेक्षण क्रमांक 302/2, क्षेत्रफल 720 वर्ग फुट, तहसील- देपालपुर, जिला- इंदौर, खटवाड़ी मेन रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश। सीमाएँ: पूर्वः विक्रेता का भाग, पश्चिमः आम रास्ता 20 फुट, उत्तरः विक्रेता का भाग, दक्षिणः विक्रेता का भाग।

उधारकताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना का अनुपालन करें और इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर उसमें और ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय सहित भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि MOHFL एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो MOHFLअधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित संपत्ति(संपत्तियों) पर कब्जा लेने के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके उसे हस्तांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। MOHFL को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति(यों) को कुर्क और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्ति(यों) की बिक्री के बाद, MOHFL को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य MOHFL को देय बकाया राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत MOHFL को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। ऋणकर्ता(कों) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय और धारा 13(13) की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है, जिसके तहत ऋणकर्ता(कों) को MOHFL की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का पालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और ऋणकर्ता(कों) यदि चाहें तो इसे अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्यदिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः मध्य प्रदेश
दिनांकः 25.12.2025

अनुवाद में त्रुटिया विसंगति होने पर अंग्रजी संस्करण मान्य होगा

एसडी/-, प्राधिकृत अधिकारी
मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय नगर पालिका परिषद, नीमच जिला नीमच म.प्र.

क्रं. 510 / ई-टेण्ड / 01 / सा.प्र. / 2025 / नीमच, दिनांक 24 /12/2025

ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट website http://mptenders.gov.in पर देखा सकते हैं।

क्र. / टेण्डर क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD.
2025_UAD_470448 (FIRST CALL)	नगर पालिका में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये वर्दी सप्लाये कार्य	90 Months 2000000/-	Rs. 5000 Rs. 20000

1. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन http://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

श्रीमती स्वाति गौरव चौपड़ा
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, नीमच

श्री नीरज अहीर
सभापति सामान्य प्रशासन
नगर पालिका परिषद् नीमच

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् नीमच

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, पीथमपुर जिला धार (म. प्र.)

Fax No-07292-253236, Email-cmopithampur@mpurban.gov.in

क्रमांक / 8112 / न. पा. / 25 पीथमपुर, दिनांक 22/12/2025

-: ई-निविदा आमंत्रण सूचना :-

नगर पालिका परिषद्, पीथमपुर द्वारा इच्छुक संस्था / फर्म / कम्पनी से निम्नांकित कार्य के ऑनलाईन (Online) ई - निविदा आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत निविदा सूचना जानकारी शासन की वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती हैं :-

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD.	निविदा की अंतिम तिथि
1	2025_UAD_ 470532	HIRING OF ELECTRIC VEHICLES FOR MUNICIPAL COUNCIL PITHAMPUR FOR FINANCIAL YEAR 2026-27	12 माह 50.00 लाख	5000/- 37500/-	22.01.2026
2	2025_UAD_ 470533	स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 अन्तर्गत नगर के विभिन्न स्थानों पर वाल पेंटींग कार्य	12 माह 39.00 लाख	5000/- 29250/-	22.01.2026
3	2025_UAD_ 470534	ABC नियम अनुसार शहर के आवरा श्वानों के ऑपरेशन एवं वैक्सीनेशन कार्य।	12 माह 30.00 लाख	5000/- 22500/-	22.01.2026

(श्रीमती सेवन्ती सुरेश पटेल)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद पीथमपुर,जिला धार

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद पीथमपुर
जिला धार

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
(डॉ. रिंकेश कुमार वैश्य), जिला इंदौर
(प्रशासनिक संकुल कक्ष क्र.- जी 11)
क्रमांक/860/अकरी/2025 इंदौर दिनांक 19/12-2025
प्रकरण क्र. / 0401 /ब-121/2025-26

पेपर विज्ञप्ति

प्रति,
1. **मेसर्स सारथी मोटर्स प्रो. रश्मि मालवीय माता योगिता मालवीय**
पता - 3/63, लक्ष्मी कॉम्पलेक्स, आगरा बोम्बे रोड यूनाइटेड पेट्रोल, पम्प के सामने राउ रोड इंदौर म.प्र. 452001
2. **रश्मि मालवीय माता योगिता मालवीय**
पता-20, श्लोक श्री अपार्टमेंट मानवता नगर कनाडिया रोड इंदौर म.प्र. 452016
3. **मेसर्स त्रिशक्ति एण्ड हर्षिस द एंटीक कलेक्शन प्रो. रश्मि मालवीय माता योगिता मालवीय**
पता - प्लाट नंबर 4, शॉप नंबर 2, बैराठी कॉलोनी, टॉवर चौराहे के पास इंदौर म.प्र. 452001
4. **श्री खेमराज सिसोदिया पिता श्री रमेश चन्द्र**
पता 1-255, मालवीय नगर उमरिया इंदौर म.प्र. 453331
पता 2- प्लाट नंबर 01-बी एवं 15-बी, चन्द्रविहार कॉलोनी, ग्राम उमरिया तहसील व जिला इंदौर म.प्र. 453331
5. **श्रीमती बाबी बाई**
पता 1-255, मालवीय नगर उमरिया इंदौर म.प्र. 453331

द्वारा:- पेपर प्रकाशन।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक, शाखाः ए.आर.एम. भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा निवेदन किया गया हैं कि बंधक संपत्ति - संपत्ति के सभी भाग एवं अंग- प्लाट नंबर 01 बी एवं 15-बी, चन्द्रविहार कॉलोनी, ग्राम उमरिया तहसील व जिला इंदौर म.प्र. 453331, पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूमि संपत्ति का कब्जा ही सौंपा गया हैं। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं और प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूमि के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे।

अतः इस संबंध में एतद् द्वारा सूचित किया जाता हैं कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इंदौर कक्ष क्रमांक जी-11 में दिनांक 26./12/2025 को दोपहर 03:00 बजे होगी। आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला इंदौर
इंदौर, दिनांक- 19/12/25

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां **नवभारत** के माध्यम से

मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक

आपका अपना बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय, देवास - सीजन-1, पहली मंजिल, कालानी बाग, ए.बी. रोड, देवास (म.प्र.) 455001, दूरभाष क्रमांक 07272-251068

अचल संपत्ति हेतु अधिग्रहण की सूचना

मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके ऋणगृहिताओं/जमानतदारों से सूचना प्राप्ति की दिनांक से 60 दिन की समयावधि में ऋण राशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिताओं/जमानतदारों ने अदायगी में त्रुटी की है अत: ऋणगृहिताओं/जमानतदारों तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित नियम 8 के अन्तर्गत प्राप्त कर लिया है। ऋणगृहिताओं/जमानतदारों को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करें यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक** के ऋणगृहिताओं/जमानतदारों के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा। अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित संपत्ति को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समय के संबंध में ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्रं.	शाखा का नाम	ऋणी/सम्पत्ति मालिक/ जमानतदार का नाम व पता	मांग नोटिस दिनांक/ सांकेतिक कब्जा दिनांक/बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का पूर्ण विवरण/चर्तुसीमायें एवं सम्पत्ति मालिक का नाम
1.	शाजापुर	**ऋणी : श्री होकमसिंह गुर्जर पिता श्री राधेश्याम गुर्जर** पता : ग्राम-रामपुरा गुर्जर, तहसील एवं जिला शाजापुर (म.प्र.) **1) जमानतदार: श्रीमती लाड़कुंवरबाई गुर्जर पति श्री होकमसिंह गुर्जर** पता : ग्राम-रामपुरा गुर्जर, तहसील एवं जिला शाजापुर (म.प्र.) **2) जमानतदार: श्री आत्माराम गुर्जर पिता श्री नाथू गुर्जर** पता : ग्राम-रामपुरा गुर्जर, तहसील एवं जिला शाजापुर (म.प्र.)	**09.05.2025** **22.12.2025** **₹ 10,32,648.38** (अक्षरी राशि रु. दस लाख बत्तीस हजार छ: सौ अड़तालिस एवं पैसे अड़तीस) + ब्याज एवं अन्य खर्च	आवासीय भवन: आवासीय भवन सर्वे क्रमांक 204, हल्का नम्बर 27, ग्राम रामपुरा गुर्जर, तहसील एवं जिला शाजापुर (म.प्र.), **कुल क्षेत्रफल: 4350 वर्गफीट** **चर्तुसीमा: पूर्व में:** आम रास्ता, **पश्चिम में:** आम रास्ता, **उत्तर में:** आम रास्ता, **दक्षिण में:** गंगाराम जी की भूमि/सीताराम का मकान **सम्पत्ति मालिक का नाम:** **श्रीमती लाड़कुंवरबाई गुर्जर पति श्री होकमसिंह गुर्जर**

दिनांक: 25.12.2025
स्थान: देवास

प्राधिकृत अधिकारी
मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, देवास

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

रतलाम शाखा,
74- धानमण्डी, रतलाम
जिला रतलाम,
मध्य प्रदेश- 457001

परिशिष्ट IV-ए [नियम 9(1) देखे]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

संपत्ति विवरण हेतु QR कोड स्केन करें।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आम लोगों को और विशेष रुप से ऋणीओं, जमानतदारों एवं बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित हैं। जिनका प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **भौतिक आधिपत्य** ले लिया गया है, उन्हें ''जहां है जैसा है'' और '' जो कुछ भी है'' के आधार पर **09.01.2026 को दोप. 12.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक** ई-नीलामी की जाना है। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम जमा राशि का उल्लेख नीचे किया गया है।

क्र.	ऋणी एवं जमानतदार का नाम	संपत्ति का विवरण	वसूल की जाने वाली राशि (खर्चो को छोड़कर)	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशी
1	**ऋणी- नासिर खान पिता रहीम बक्स खान जमानतदार - श्री आबिद हुसैन**	फ्लेट नं. 202, दूसरी मंजिल हयात रेसीडेंसी, सर्वे नं. 364/1 पर प्लाट, ऑफिसर कॉलोनी रतलाम, म.प्र. 457001, **चर्तुःसीमा** : पूर्व : श्री आयुब खान का मकान, पश्चिम : नदिम खान का प्लॉट, उत्तर : पैसेज एव फ्लेट नं. 201, दक्षिण : तल मंजिल पर अन्य भूमि **(भौतिक आधिपत्य)**	**Rs. 14,69,080.09 As on 29.06.2018**	**Rs.9,00,000/- Rs.90,000/- Rs. 9,000/-**

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथी : नीलामी के अंतिम समय से पहले ईएमडी जमा कर ईएमडी राशि को संपत्ति आईडी के साथ लिंक/मैप करना होगा। यह सूचित किया जाता है कि किसी भी तकनीकी गड़बड़ी से बचने के लिए ईएमडी राशि को पहले ही जमा कर दें एवं संपत्ति आईडी के साथ लिंक/मैप कर दें।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट अर्थात **(www.unionbankofindia.co.in)** पर दिए गए लिंक **"https://baanknet.com"** का संदर्भ लें एवं सेवा प्रदाता **पीएसबी एलायंस की वेबसाइट 'https://baanknet.com'** पर जाएं। रजिस्ट्रेशन संबंधित जानकारी हेतु ई-मेल करें **support.BAANKNET@psballiance.com** उक्त तालिका में दिया गया सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रदान किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की गलती, त्रुटी या भूल के लिए प्रधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं रहेगा। सफल बोलीकर्ता को सफल बोली राशि कि 25% राशि सम्पत्ति की नीलामी के अगले कार्य दिवस तक की समय अवधि में जमा करनी होगी, शेष 75% राशि नीलामी समाप्ति से 15 दिन में जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई राशि/राशियाँ जब्त कर ली जाएंगी और विक्रय की गई संपत्ति के प्रति चूककर्ता क्रेता के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और बैंक उस सम्पत्ति को पुनः विक्रय करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। उक्त नीलामी **https://baanknet.com** के माध्यम से कि जाएगी अतः इच्छुक बोलीकर्ता को अपना पंजीयन अपने मोबाईल नं. तथा ईमेल आइडी का प्रयोग करते हुए करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु बाध्य नही है किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने/स्थगित करने या ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताये रद्द करने का प्रधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है।

नोट: कृपया इस नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार के भार, न्यायालय आदेश या अन्य विवरण के लिए हमारे बैंक की वेबसाइट एवं बैंकनेट पोर्टल देखें।

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 25.12.2025

ह/- प्राधिकृत अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत 15 दिवस विक्रय हेतु वैधानिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत ऋणियों एवं जमानतदारों को ऊपर लिखी गयी तिथि पर ई-नीलामी करने की सूचना के रुप में समझा जाएगा।